अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

(अ) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, *वाहन* को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र वाले वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, *सारथी* (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु तथा वाहनों के पंजीयन व ड्राइविंग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 11 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 16,379 मामलो में सन्निहित ₹ 47.83 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर, स्वस्थता शुल्क की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **सारणी–5.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी ।

2 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 इसमे कार्यालय के प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 02 स0प0अ0 एवं 08 स0स0प0अ0 शामिल हैं।

सारणी–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली	4,165	24.47
2	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन	8,023	04.09
3	जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना	833	10.06
4	उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से शास्ति की वसूली न होना	83	00.43
5	अन्य अनियमितताएं[4]	3,275	08.78
योग		**16,379**	**47.83**

5.3 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा संचालित बसों से अतिरिक्त कर ₹ 6.27 करोड़ की वसूली न किया जाना

उ0 प्र0 मोटर यान कराधान (उ0 प्र0 मो0 या0 क0) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित अक्टूबर 2009) की धारा 6(1) प्रावधानित करती है कि राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वमित्व वाली कोई भी सर्वाजनिक सेवा वाहन को उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बन्धित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा संचालित बसो पर अतिरिक्त कर की दर निम्न **सारणी 5.2** में वर्णित है।

सारणी–5.2

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	प्रति सीट अतिरक्ति कर की दर (₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	दो वर्ष तक पुराने वाहन	600	1,800	6,500
2	दो वर्ष से अधिक एवं चार वर्ष से अनाधिक पुराने वाहन	500	1,500	5,400
3	चार वर्ष से अधिक एवं छः वर्ष से अनाधिक पुराने वाहन	400	1,200	4,800
4	छः वर्ष से अधिक पुराने वाहन	150	450	1,600

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर एवं अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाया के लिये यथास्थिति स्वामी या संचालन से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो के बकाया कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई, सम्मिलित होंगे।

लेखा परीक्षा ने मार्च 2020 से फरवरी 2022 की अवधि में दो[5] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखो[6] की नमूना जाँच की एवं देखा (फरवरी 2022 से मार्च 2022 के मध्य) कि

[4] तीन माह से अधिक समय से समर्पित वाहनों से राजस्व प्राप्त न होना, जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से राजस्व प्राप्त न होना, 15 साल से अधिक वाहनों का पुर्नपंजीयन नहीं होने से राजस्व की हानि, कैरिज बाई रोड, अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि एवं कर का भुगतान किये बिना वाहनों के संचालन के कारण राजस्व की हानि।

[5] स0प0अ0 झांसी एवं स0स0प0अ0 उन्नाव।

[6] वाहन डाटाबेस, कर की स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, रसीद बुक इत्यादि।

उ0प्र0रा0स0प0नि0 की 272 बसों की नमूना जाँच किये गये मामलों में से उ0प0स0प0नि0 द्वारा संचालित 174 वाहनों से ₹ 6.27 करोड़ धनराशि के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की गयी थी। कराधान अधिकारी ₹ 6.27 करोड़ धनराशि के अतिरिक्त कर राशि की वसूली करने में विफल रहे।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

(ब) राज्य आबकारी

5.4 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा, जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों एवं यवासवानियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[7] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[8] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों[9], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनकी दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (सं0आ0आ0) होते हैं, जिनकी 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं। आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) इनकी सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

5.5 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग की 128 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 29[10] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,519 मामलों में सन्निहित ₹ 1,276.12 करोड़

---

[7] 2020–21 के कुल आबकारी राजस्व में दे0म0 50 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 37 प्रतिशत, बीयर 11 प्रतिशत एवं अन्य दो प्रतिशत था।

[8] दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

[9] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

[10] इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग के प्रमुख), 12 जिला आबकारी कार्यालय व 16 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

के आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज के कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि **सारणी 5.3** में उल्लिखित किया गया है।

सारणी–5.3

क्र0 सं0	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी अभिकर का कम/न वसूल होना	5	29.00
2	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	2,508	164.00
3	आबकारी अभिलेखों में इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा का कम अंकित किया जाना	1	1,078.09
4	अन्य अनियमितताएं[11]	5	5.03
योग		**2,519**	**1,276.12**

5.6 आबकारी अभिलेखों में इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा को कम अंकित किया जाना

सहायक आबकारी आयुक्त, रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर, आबकारी अभिलेखों में दर्शायी गयी इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की निगरानी आयकर विभाग में दाखिल विवरणी के साथ करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप वर्ष 2013–14 से 2019–20 की अवधि के दौरान ₹ 1,078.09 करोड़ (₹ 482.34 करोड़ के ब्याज सहित) के आबकारी राजस्व के इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग को कम करके दिखाने का पता नहीं चला।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 यह प्रावधानित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित किसी आबकारी शुल्क योग्य पदार्थ पर, ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, आबकारी शुल्क आरोपित किया जा सकता है। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38क के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर जमा न किया गया हो, वहाँ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वसूलनीय है।

इनपुट उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाने वाले शीरे, अनाजों एवं माल्ट को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में स्प्रिट/वाश प्राप्त करने के लिए किण्डिवित एवं आसवित किया जाता है, जो शराब और अन्य मादक पदार्थों जैसे अंतिम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पुर्नआसवित, मिश्रित, सम्मिश्रित, परिष्कृत एवं पतला किया जाता है।

सहायक आबकारी आयुक्त, रेडिकों खेतान लि0 रामपुर के कार्यालय की लेखापरीक्षा (मार्च 2022) के दौरान, 2013–14 से 2019–20 तक की अवधि के लिए शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे कि शीरा, ग्रेन एवं बारले माल्ट से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के अभिलेखों[12] की जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा आयकर विभाग (आ0वि0) के वैधानिक रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत शीरा, ग्रेन एवं बारले माल्ट की उपभोग के आंकड़ों की तुलना सहायक

---

[11] नियमों का अनुपालन न किये जाने के लिये शास्ति का अनारोपण, अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन प्राप्त करने में विफलता के कारण प्रशमन धनराशि का कम आरोपण, मदिरा की बिक्री एम0आर0पी0 से अधिक पर किये जाने के मामलों में उचित कार्यवाही न किया जाना, न्यू0प्र0मा0 (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) निर्धारित दुकान पर समायोजित न किया जाना, न्यूनतम आसवन क्षमता प्राप्त करने के लिये शास्ति का अनारोपण, आदि।

[12] शीरे के मासिक स्टाक रजिस्टर (एम0एफ0–6 रजिस्टर) एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत विवरणी तथा लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं।

आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0), रेडिको खेतान लि0 रामपुर के अभिलेखों में दर्शाये गये तत्सम्बन्धी मात्राओं से की तथा आयकर विभाग को प्रेषित किये गये अभिलेखों/विवरणों में प्रदर्शित की गयी मात्राओं और राज्य आबकारी विभाग में उपलब्ध मात्राओं में भिन्नता देखी गयी। प्रयुक्त सामग्री में पायी गयी विसंगतियाँ इंगित करती हैं कि निर्धारिती द्वारा इनपुट्स के उपभोग को आबकारी विभाग में कम करके बताया गया, जिसमे ₹ 595.75 करोड़ का आबकारी राजस्व सन्निहित था जिस पर ₹ 482.34 करोड़ का ब्याज आरोपणीय था जैसा **सारिणी–5.4** में वर्णित है।

सारिणी–5.4: आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा को कम अंकित किये जाने के कारण प्रतिफल शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण

(₹ लाख में)

सामग्री का प्रकार (क्विंटल में)	वित्तीय वर्ष	आ0वि0रि0 के अनुसार उपभोग[13]	आबकारी विभाग के अनुसार उपभोग	अन्तर	सन्निहित आबकारी प्रतिफल	विलम्ब की अवधि महीनों[14] में	31 मार्च 2022 तक देय ब्याज	योग
शीरा	2013–14	28,75,826.00	28,63,956.00	11,870.00	1,269.64	96	1,828.28	3,097.92
	2014–15	21,01,363.00	20,93,214.00	8,149.00	1.042.13	84	1,313.09	2,355.22
	2015–16	22,36,773.00	21,93,281.00	43,492.00	6,858.00	72	7,406.65	14,264.65
	2016–17	29,01,022.00	28,45,293.00	55,729.00	8,498.50	60	7,648.66	16,147.16
	2017–18	25,92,165.00	25,38,563.00	53,602.00	7,334.43	48	5,280.79	12,615.22
	2018–19	25,88,483.00	25,33,726.00	54,757.00	9,068.74	36	4,897.12	13,965.86
	2019–20	23,17,076.00	22,75,990.00	41,086.00	5,900.44	24	2,124.16	8,024.60
ग्रेन	2013–14	7,24,291.00	7,15,337.60	8,953.40	1,711.63	96	2,464.74	4,176.37
	2014–15	8,71,340.00	8,50,928.40	20,411.60	4,622.16	84	5,823.92	10,446.08
	2015–16	8,36,547.00	8,26,779.60	9,767.40	2,549.71	72	2,753.68	5,303.39
	2016–17	7,82,993.00	7,73,338.60	9,654.40	2,492.71	60	2,243.43	4,736.14
	2017–18	8,69,470.00	8,59,252.00	10,218.00	2,651.74	48	1,909.26	4,561.00
	2018–19	8,63,871.00	8,54,412.00	9,459.00	2,961.19	36	1,599.04	4,560.23
	2019–20	7,81,030.00	7,72,792.00	8,238.00	2,578.95	24	928.42	3,507.37
बारले माल्ट	2015–16	18,893.00	18,892.75	0.25	0.06	72	0.06	0.12
	2019–20	42,220.76	42,094.45	126.31	34.80	24	12.53	47.33
योग					**59,574.83**		**48,233.83**	**1,07,808.66**

इसके परिणामस्वरूप इनपुट्स आबकारी सामग्री का कम उपभोग अंकित किया गया जिसमें सरकार का ₹ 1,078.09 करोड़ का आबकारी राजस्व सन्निहित था, का विवरण **परिशिष्ट–XLI, XLII** एवं **XLIII** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

संस्तुतियाँ:

सरकार को:

1. **निर्धारिती द्वारा इनपुट आबकारी सामग्री की मात्रा को कम अंकित किये जाने का विश्लेषण एवं आबकारी राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये।**
2. **निर्धारण अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये जो कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे एवं आबकारी सामग्री के कम उपभोग को नहीं पकड़ पाये।**

[13] आयकर विभाग के फार्म 3सीडी में सम्मिलित सूचना।

[14] आबकारी राजस्व का भुगतान न करने के कारण विलम्ब की गणना सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन से 31 मार्च 2022 तक किया गया है।

5.7 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति जमा को समय पर जमा सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.19 करोड़, अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10.65 करोड़ और प्रतिभूति जमा ₹ 0.21 करोड़ की कुल धनराशि ₹ 11.05 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) की विभिन्न नियमावलियाँ[15] प्रावधानित करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर अनुज्ञापन शुल्क[16] (अ0शु0)/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[17] (बे0अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति धनराशि का आधा 10 कार्य दिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा। वर्ष 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 के लिए आबकारी नीति, यह भी प्रावधानित करती हैं कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में, अ0शु0/बे0अ0शु0 का आधा नवीनीकरण के आवेदन के अनुमोदन की सूचना के तीन कार्यदिवस के अन्दर जमा किया जायेगा, अ0शु0/बे0अ0शु0[18] तथा प्रतिभूति जमा[19] की शेष राशि उस वर्ष की आबकारी नीति में तय समय सीमा के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। विफलता के मामले में, दुकान का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं विगत वर्ष की प्रतिभूति जमा का प्रतिशत, जो आबकारी नीति[20] में निश्चित किया गया हो, समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने 12 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य) कि इन जनपदों में 2,687 मदिरा की दुकानों में

---

[15] उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 तथा संशोधन नियमावली 2019।

[16] विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय फुटकर दुकान पर विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए एकांतिक विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के बदले में एक निर्धारित धनराशि से है। देशी मदिरा की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय बेसिक अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एकांति विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए अनुज्ञापी द्वारा देय प्रतिफल के शेष भाग से है तथा यह धनराशि दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर आरोपणीय प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी।
अ0शु0 की वर्षवार धनराशि– ₹ 222 प्रति बल्क लीटर (बी0एल0) (2018–19 एवं 2019–20) तथा ₹ 226 प्रति बी0 एल0 (2020–21 एवं 2021–22)।

[17] बेसिक अनुज्ञापन शुल्क का तात्पर्य है कि देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन प्रदान करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा उसे अनुज्ञापन दिये जाने से पूर्व देय प्रतिफल का हिस्सा है।
बे0अ0शु0 की वर्षवार धनराशि– ₹ 28 प्रति बी0एल0 (2018–19), ₹ 30 प्रति बी0एल0 (2019–20), वर्ष 2019–20 की दुकानो के बे0अ0शु0 पर 10 प्रतिशत की वृद्धि (2020–21) तथा वर्ष 2020–21 की दुकानो के बे0अ0शु0 पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि (2021–22)।

[18] अ0शु0/बे0अ0शु0 की जमा की तिथि–28.02.2019 (2019–20), 28.02.2020 (2020–21) तथा 15.03.2021 (2021–22)।

[19] प्रतिभूति धनराशि की जमा की तिथि–31.03.2019 (2019–20), दे0म0 व वि0म0 के लिए 20.03.2020 तथा बीयर व मॉडल शॉप के लिए 25.03.2020 (2020–21) तथा 20.03.2021 (2021–22)।

[20] प्रतिभूति धनराशि के समपहरण का प्रतिशत–वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में 15 प्रतिशत (दे0म0) तथा 50 प्रतिशत (वि0म0, बीयर व मॉ0शॉ0) तथा वर्ष 2021–22 में 15 प्रतिशत (दे0म0, वि0म0, बीयर व मॉ0शॉ0)।

से 688 अनुज्ञापियों (जाँच की गयी दुकानों का 25.60 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विभागीय अभिलेखों (दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निर्धारित जी–12 रजिस्टर) की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से इसमें जमा की देय तिथि, जमा की वास्तविक तिथि, विलम्ब से जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा इत्यादि की जाँच की और पाया कि दुकानों के व्यवस्थापन के समय अनुज्ञापियों द्वारा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की केवल आंशिक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया गया था। यद्यपि विलम्ब की अवधि एक से 173 दिनों की थी (15 दिनों तक विलम्ब, दुकानें–482, धनराशि ₹ 77.00 करोड़; 16 से 30 दिनों के मध्य विलम्ब, दुकानें–108, धनराशि ₹ 12.67 करोड़; तथा 30 दिनों से अधिक विलम्ब, दुकानें–98, धनराशि ₹ 11.05 करोड़), फिर भी सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी नियमावली/नीति के अनुसार दुकानों के व्यवस्थापन के निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा में देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 100.72 करोड़ की धनराशि समपहृत नहीं हुई। इस पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा ने उन दुकानों पर आपत्ति उठायी है जहाँ अत्यधिक देरी (30 दिनों से अधिक) पायी गयी। देय धनराशि के जमा में अत्यधिक देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 11.05 करोड़ (नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.19 करोड़, अ0शु0/बे0अ0शु0 ₹ 10.65 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 0.21 करोड़) के समपहरण में विफलता हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XLIV** में दर्शाया गया है।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 21 फरवरी 2023

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 फरवरी FEB 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक